न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 81/18 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2018/00236

अनवान्

1. श्री किशनलाल पिता हीरालाल डांगी निवासी घासा तहसील मावली हाल घासा।

..............प्रार्थी

बनाम

1. श्री हीरालाल पिता उदा डांगी निवासी घासा तहसील मावली हाल घासा।
2. पिना पुत्री हीरालाल डांगी निवासी घासा तहसील मावली हाल घासा।
3. लीला पुत्री हीरालाल डांगी निवासी घासा तहसील मावली हाल घासा।
4. उप पंजीयक अधिकारी मावली, तहसील मावली हाल घासा।
5. पटवारी, पटवार हल्का घासा तहसील मावली हाल घासा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली हाल घासा।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कल्याण सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 25.03.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बापेर पटवार हल्का घासा के परिशिष्ट 1 में वर्णित आराजी नम्बर 5243, 5244, 5245, 5246, 5258, 5259, 5260 किता 7 कुल रकबा 69 बीघा 1 बिस्वा भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 हिरालाल व मानाराम, गंगाराम खेमणी के नाम 1/6 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट 2 में वर्णित आराजी नम्बर 5247, 5249, 5250, 5251, 5253 किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्तमान में उदा पिता भोपा के नाम 1/3 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट 3 में वर्णित आराजी नम्बर 5255 रकबा 3 बिस्वा भूमि वर्तमान में उदा पिता भोपा के नाम 1/6 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज हैं। मौजा घासा पटवार हल्का घासा के परिशिष्ट [illegible]त आराजी नम्बर 5231 रकबा 3 बीघा 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:42 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 हीरालाल एवं मानाराम, गंगाराम, खेमणी पिता उदा के नाम 1/2 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट 5 में वर्णित आराजी नम्बर 4837, 4838 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 हीरालाल एवं मानाराम, गंगाराम, खेमणी पिता उदा के नाम 1/2 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज हैं। मौजा मण्डी की मगरी पटवार हल्का घासा के परिशिष्ट 6 में वर्णित आराजी नम्बर 4631 रकबा 1 बिस्वा भूमि वर्तमान में उदा पिता भोपा के नाम हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट 7 में वर्णित आराजी नम्बर 4632, 4636, 5331, 5332 किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 हीरालाल एवं मानाराम, गंगाराम, खेमणी पिता उदा के नाम 1/2 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं।

2. यह कि उभय पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :—

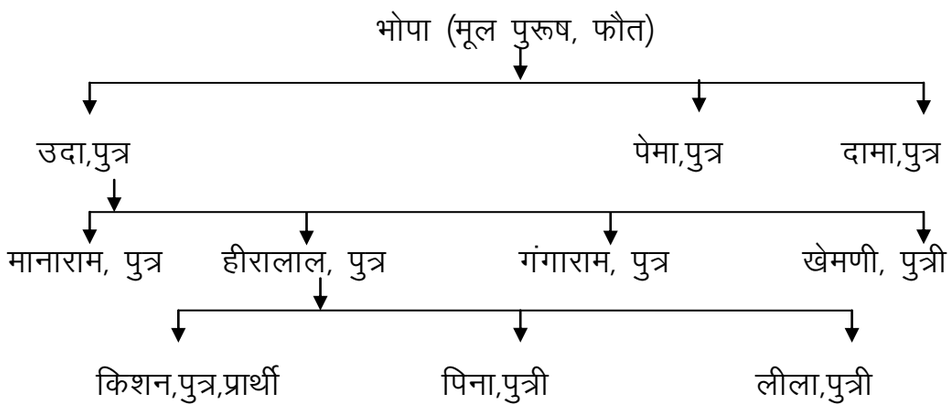

उक्त सजरे अनुसार हमारे मूल पुरूष भोपा जी थे जिनके तीन पुत्र उदा, पेमा, दामा हुए। उदा का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस मानाराम, हीरालाल (विपक्षी संख्या 1), गंगाराम, खेमणी हैं। हीरालाल (विपक्षी संख्या 1) के वारिस पुत्र किशन (प्रार्थी) एवं पुत्रीयां पिना, लीला हैं।

3. यह कि परिशिष्ट 2, 3, 6 में वर्णित आराजीयात विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पूर्व में मुझ प्रार्थी के दादा श्री उदा पिता भोपा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित थी और उदा पिता भोपा के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि विरासत से उनके पुत्र विपक्षी संख्या 1 व अन्य वारिस मानाराम, गंगाराम, खेमणी के नाम पर अंकित हुई है एवं परिशिष्ट 1, 4, 5, 7 में उदा पिता भोपा के नाम दर्ज भूमि मुझ प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ प्रार्थी को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके है और इन भूमियों में अपने पिता विपक्षी संख्या 1 व दादा उदा पिता भोपा के नाम दर्ज हिस्सा भूमियों में अपने हिस्सा भूमि पर मैं प्रार्थी काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं। उक्त वर्णित भूमि पर मुझ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का अपने हिस्सेनुसार कब्जा चला आ रहा है व विपक्षी संख्या 1 भी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है अर्थात विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में मैं प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2, 3 अपने हिस्सा भूमि पर काबिज हो काश्त करते आ रहे है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है जो भूमाफियाओं के बहकावे में आकर मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से की भूमि से वंचित करने की नियत से अपने नाम अंकित सम्पूर्ण भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द कराने पर आमादा है तथा उदा पिता भोपा के नाम दर्ज भूमि को भी अपने नाम पर अंकित करवाकर हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू है और मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि से बेदखल करने की भी धमकीयां दे रहे है जबकि विपक्षी संख्या 1 को उनके नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को हस्तान्तरित करने का कोई हक व अधिकार नहीं हैं।

4. यह कि मुझ प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ प्रार्थी को जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हो गये है तथा मैं प्रार्थी अपने हक हिस्सेनुसार भूमि पर काबिज हो काश्त करता आ रहा हूं किन्तु जमीन वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर रेकार्ड में दर्ज है और विपक्षी संख्या 1 भूमाफिया उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने के लिए उकसा रहे है और विपक्षी संख्या 1 भी भूमाफियाओं के सिखावे व बहकावे में आकर मुझ प्रार्थी को धमकी दे रहे कि जमीन के खरीददार मिल गये है और अब मै इस जमीन को बेच रहा हूं, तुम अपना कब्जा हटा लेना वरना खरीददार लाठी के बल पर जोर जबरदस्ती तुम्हे बेदखल कर देगे। विपक्षी संख्या 1 ने पहले भी कुछ भूमियों को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द कर दी है जबकि विपक्षी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि विपक्षी संख्या 1 मुझ प्रार्थी को अपने हिस्से भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 16.06.2018 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 ने भूमाफियाओं के बहकावट व सिखावट में आकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:42 IST
Reason: SelfAttested

उक्त जमीन हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने व मुझ प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि में प्रार्थी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उदा पिता भोपा के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम पर अंकित नहीं करावे, प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला प्रार्थना विपक्षी संख्या 4 पंजीयन नहीं करे व विपक्षी संख्या 5, 6 ताफैसला प्रार्थना राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित भूमि अवश्य ही विपक्षी संख्या 1 को उसके पिता से विरासत से प्राप्त हुई है किन्तु विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा अधिकार कभी भी नहीं रहा है और न ही प्रार्थी को इन भूमियों में जन्म से कोई हक अधिकार हासिल हुए। विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित भूमि के इन्च मात्र भू भाग पर भी प्रार्थी का कभी कोई कब्जा उपयोग उपभोग नहीं रहा है, न ही वर्तमान में हैं। विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमियो पर प्रार्थी अथवा विपक्षी संख्या 2, 3 का कभी कोई हक अधिकार कब्जा भुगत भोग नहीं रहा है और न ही वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2, 3 का कोई हक अधिकार कब्जा विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि को किसी भी तरह से न तो हस्तान्तरित की जा रही है और न ही खुर्द बुर्द करने पर आमादा है क्योंकि विपक्षी संख्या 1 गरीब काश्तकार है और विपक्षी संख्या 1 के परिवार का गुजर बसर इसी कृषि भूमि पर उपजने वाली पैदावार से होता रहा है और इसके अलावा विपक्षी संख्या 1 के पास आय का अन्य कोई जरिया नहीं है। प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 का पुत्र है तथा विपक्षी संख्या 1 ने मेहनत मजदूरी कर प्रार्थी को बडा किया, पढाया लिखाया, शादी करवाई एवं योग्य व्यक्ति बनाया ताकि प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 के बुढापे में सहारा बने और सेवा सुश्रुषा एवं भरण पोषण करें लेकिन प्रार्थी कभी भी विपक्षी संख्या 1 का सहारा नहीं बना और न ही प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 की सेवा चाकरी, भरण पोषण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:42 IST
Reason: SelfAttested

किया गया है बल्कि निरन्तर विपक्षी संख्या 1 को उसकी जायदाद हथियाने की गरज से तंग परेशान कर प्रताडित किया जाता रहा तथा दबाव बनाकर विपक्षी संख्या 1 की उक्त जायदाद को हडपने की मंशा से ही प्रार्थी ने आप न्यायालय में मनगढन्त कथन कर यह मिथ्या मुकदमा कर दिया जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में किसी प्रकार की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है बल्कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं मनगढन्त कथनो पर आधारित होने से निरस्त योग्य हैं।

8. यह कि प्रार्थी का न तो प्राइमाफैसी केस है और न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमियों में प्रार्थी का कभी कोई हक अधिकार एवं कब्जा भुगत नहीं रहा है और न ही विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी भूमियों को हस्तान्तरित किया जा रहा है बल्कि विपक्षी संख्या 1 अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है और जो पैदावार प्राप्त होती है उससे अपना गुजर बसर करता आ रहा हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 की कभी सेवा चाकरी भरण पोषण नहीं किया है जबकि प्रार्थी का यह विधिक एवं नैतिक दायित्व है कि प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 का भरण पोषण करे, सेवा चाकरी करे लेकिन प्रार्थी अपने कर्तव्यों से परे जाकर विपक्षी संख्या 1 की जायदाद को नाजायज तरीके से हथियाने की नियत से विपक्षी संख्या 1 को लम्बे समय से प्रताडित करता आ रहा है और यह मिथ्या मुकदमा भी प्रार्थी ने इसी मकसद से आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमियों को रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज है तथा इसके विपरित प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 के मुकाबले न तो खातेदार है, न ही इन भूमियों पर प्रार्थी का कब्जा हैं। यदि इसके बावजूद विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावेगी तो विपक्षी संख्या 1 के जायज अधिकार प्रभावित होगे और प्रार्थी की आड लेकर विपक्षी संख्या 1 के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करेगा और विपक्षी संख्या 1 को उसकी भूमियों का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देगा जिससे विपक्षी संख्या 1 को भारी अशोधनीय क्षति एवं हानि होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में आंकना सम्भव नहीं होगा। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थी को न तो कोई क्षति हो रही है न ही भविष्य में कोई क्षति होने वाली हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:42 IST
Reason: SelfAttested

9. यह कि प्रार्थी को विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व कोई प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 16.06.2018 को अथवा अन्य किसी दिनांक को पैदा नहीं हुआ। प्रार्थी ने मात्र मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए मिथ्या एवं मनढन्त प्रार्थना पत्र कारण अंकित किया हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

10. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पति है मौरूसी सम्पति में मेरा भी हक हिस्सा निहित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 हीरालाल के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी का पिता हैं। प्रार्थी द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा चाही हैं। विपक्षी संख्या 1 वर्तमान में वादग्रस्त भूमि का खातेदार होने से खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नही दी जा सकती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन—* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं होकर विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। यदि विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो विपक्षी संख्या 1 को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के विरूद्व साबित होने से सुविधा का

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:42 IST
Reason: SelfAttested

संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति*– चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार खातेदार के रूप में दर्ज हैं। प्रार्थी खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहता है। खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार के हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा तथा खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

12. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा बापेर पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 5243, 5244, 5245, 5246, 5258, 5259, 5260 किता 7 कुल रकबा 69 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 5247, 5249, 5250, 5251, 5253 किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 5255 रकबा 3 बिस्वा, मौजा घासा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 5231 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 4837, 4838 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा एवं मौजा मण्डी की मगरी पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 4631 रकबा 1 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 4632, 4636, 5331, 5332 किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 हीरालाल तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा अपनी पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी वर्तमान में वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के विपक्षी सं. 1 HUF कर्ता खानदान होने से अपने नाम दर्ज भूमि का परिवार की जायज जरूरतों के लिए उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। यदि प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी।

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्व साबित हुए हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:42 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:42 IST
Reason: SelfAttested